न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 40/2012

1 चन्द्रराम पुत्र स्व. श्री रूड़ाराम उम्र 85 साल जाति कुम्हार निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.। मृतक

1/1 अमरसिंह पुत्र चन्द्राराम

1/2 द्वारका प्रसाद पुत्र चन्द्रराम

1/3 रामस्वरूप पुत्र चन्द्रराम

1/4 शांति देवी पत्नी गुरूदयाल

1/5 नरेश कुमार पुत्र गुरूदयाल

1/6 विक्रम पुत्र गुरूदयाल

1/7 मंजु देवी पुत्री गुरूदयाल

1/8 सरिता पुत्री गुरूदयाल

1/9 शर्मिला पुत्री गुरूदयाल

1/10 अशोक कुमार पुत्र बजरंग लाल

1/11 कृष्णा देवी पुत्री बजरंग लाल

1/12 सुवा देवी पुत्री चन्द्रराम

1/13 माया देवी पुत्री चन्द्रराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सुण्डाराम पुत्र गिगाराम

2 मोहनलाल पुत्र शंकर

3 मोहर सिंह पुत्र शंकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(सीकर झुन्झुनूं)

4 कमलाराम पुत्र शंकर
5 भागूराम पुत्र शंकर
6 श्रीमती दुर्गी पत्नी स्व. शंकर
7 श्रीमती छोटी पत्नी स्व. श्री गुल्लाराम
8 मंगलाराम पुत्र स्व. श्री गुल्लाराम
9 बिरबल पुत्र स्व. श्री गुल्लाराम
10 जुगलकिशोर पुत्र स्व. श्री गुल्लाराम
11 रामसिंह पुत्र स्व. श्री गुल्लाराम
12 सोहनलाल पुत्र गिगाराम
13 मातुराम पुत्र गिगाराम फौत
13/1 ग्यारसीलाल पुत्र स्व. मातुराम
13/2 महेन्द्र पुत्र स्व. मातुराम
13/3 श्रीमती गिन्ना देवी पत्नी स्व. मातुराम
14 जगदीश पुत्र गिगाराम
15 केशरदेव पुत्र गिगाराम
16 राधेश्याम पुत्र गिगाराम
समस्त जातियान कुम्हार निवासीगण बड़ऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
17 राजस्थान सरकार जरिये योग्य तहसीलदार, खेतड़ी।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2006
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बइजलास श्वेता
फगेड़िया आर.ए.एस मु. नं. 126/2001 उनवानी
सुण्डाराम बनाम चन्द्राराम वगैरह दावा बाबत
घोषणात्मक व खाता विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

उपस्थिति :

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 126/2001 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणात्मक व खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 1248, 1249, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1395, 1396, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1434, 1446, 1447, 1448, 1449, तथा खसरा नम्बर 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1385, 1386, 1387, 1388 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। धारा 5 पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण से सम्बन्धित दावे का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2006 को योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। उक्त निर्णय एवं डिक्री की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

जानकारी प्रार्थी को नहीं रही है। प्रार्थी वृद्ध बीमार, अनपढ़ व अंगुठा छाप व्यक्ति हैं प्रार्थी के वकील ने प्रार्थी से कह रखा था कि जब जरूरत होगी आपको न्यायालय में बुला लेगें। उपरोक्त निर्णय व डिक्री के बाद तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये प्रार्थी के सामने विभाजन भी तैयार नहीं किया गया दिनांक 06.06.2011 को वादी अनावेदक नम्बर 1 सुण्डाराम प्रार्थी की कब्जे काश्त की जमीन पर कब्जा करने आया तब प्रार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री व विभाजन प्रस्ताव की जानकारी हुई तब प्रार्थी अपने वकील से मिला तथा दिनांक 08.06.2011 को एक आक्षेप प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय कर दिया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि प्रार्थी को यदि डिक्री से हकतलफी है तो वह नियमानुसार उसकी अपील कर सकता है। इस प्रकार अपील निर्णय दिनांक 05.03.2012 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अगर फिर भी अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जाने पर प्रार्थी का दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अपील अन्दर मियाद नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी को दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाने का आदेश फरमाया जावें। दौराने अपील अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2018 एससी पेज 456, डीएनजे 2023(1) राज. पेज 69 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने साक्ष्य एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 16.01.2006 को पारित किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दिनांक 20.03.2012 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

छः साल के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट ने प्रमाणित प्रतिलिपि एफआईआर नम्बर 128/2010 थाना खेतड़ीनगर, एफआर नम्बर 36/2010, परिवाद न्यायालय एसीजेएम खेतड़ी, निर्णय एडीजे खेतड़ी निर्णय एसडीओ खेतड़ी प्रस्तुत किये। विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2011 में अपीलांट ने आदेश 41 नियम 151 सीपीसी प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र से अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से होना रिकार्डेड प्रमाणित है। इस प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 05.03.2012 में विचाराधीन निर्णय व डिक्री का पूर्णतया अंकन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि उसे पूर्व में जानकारी नहीं थी, विश्वास योग्य नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। मियाद के बिन्दु पर अपीलांट किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावें। अपील के स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने अनुमति नहीं दी सकती है। आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जावें। डीएनजे 2013(2)(एचसी) राज. पेज 750, आरबीजे 2019 एचसी पेज 658, आरआरटी 2019(2) आरबी पेज 866 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने साक्ष्य एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 16.01.2006 को पारित किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दिनांक 20.03.2012 को छ साल के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट ने प्रमाणित प्रतिलिपि एफआईआर नम्बर 128/2010 थाना खेतड़ीनगर, एफआर नम्बर 36/2010, परिवाद न्यायालय एसीजेएम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खेतड़ी, निर्णय एडीजे खेतड़ी निर्णय एसडीओ खेतड़ी प्रस्तुत किये। विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2011 में अपीलांट ने आदेश 41 नियम 151 सीपीसी प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र से अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से होना रिकार्डेड प्रमाणित है। इस प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 05.03.2012 में विचाराधीन निर्णय व डिक्री का पूर्णतया अंकन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि उसे पूर्व में जानकारी नहीं थी, विश्वास योग्य नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। मियाद के बिन्दु पर अपीलांट किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

इस संदर्भ में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2013(2) राज. पेज 750 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि **Civil Procedure Code, 1908-O. R 1(d)- Limitation Act, 1963-Sec 5- Appeal-Delay in filing-649 days delay in filing appeal-Counsel has appeared and argued matter on behalf of appellant before Court below but appellant himself not contracted the counsel for inquiry about the progress of the case-Gross- negligence on part of appellant- Held, Delay in filing appeal cannot be condoned- Application filed u/s. 5 seeking condonation of delay is dismissed and consequently appeal is also dismissed.**

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झुनूं)